अति आवश्यक / तत्काल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल.

कमांक / मंडी / प्रां. / 45 / 48 / 415 भोपाल,दिनांक: 10/5/2012

—:: परिपत्र ::—

मुख्यालय के परिपत्र कमांक मंडी / प्रॉ. / 45 / 48 / 3956 दिनांक 30.12.2008 तथा समय—समय पर यथा संशोधित के अनुसार कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगणों में स्थापित केन्टीन / भोजनालय के माध्यम से किसानों को 5 / —रूपये का भुगतान कर भोजन उपलब्ध कराये जाने की योजना वर्तमान में कियान्वित की जा रही है।

रबी विपणन वर्ष 2012--13 अन्तर्गत समर्थन मूल्य पर ''गेहूँ'' उपार्जन का कार्य प्रदेश में युद्ध स्तर पर जारी है एवं इस कार्य अन्तर्गत गेहूँ उपार्जन केन्द्र मंडी / उपमंडी प्रांगण में भी शासन द्वारा स्थापित कर ''गेहूँ'' उपार्जन का कार्य किया जा रहा है।

किसानों को समर्थन मूल्य पर ''गेहूँ'' उपार्जन कार्य में किसी तरीके की कठिनाई ना हो इस हेतु यह निर्णय लिया गया है कि मंडी / उपमंडी प्रांगण में **स्थापित उपार्जन केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर ''गेहूँ'' विकय करने आये किसानों को ''निःशुल्क'' (बगैर 5 / —रूपये भुगतान प्राप्त किये) भोजन कराये जाने की व्यवस्था मंडी समिति द्वारा की जायेगी।** कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा उपरोक्तानुसार किसानों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने पर जो 5 / —रूपये प्रति किसान का व्यय वहन किया जाएगा उसकी प्रतिपूर्ति म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडी समिति को की जायेगी।

उपरोक्त के संदर्भ में निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाये:—

1— मंडी / उपमंडी प्रांगण में समर्थन मूल्य पर ''गेहूँ'' विकय करने हेतु उपस्थित हुए किसानों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट—1 के प्रारूप में पंजी का संधारण कर मंडी समिति द्वारा की जायेगी। यहां यह भी सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे किसान जो कि मंडी / उपमंडी प्रांगण में स्थापित कय केन्द्र पर समर्थन मूल्य पर ''गेहूँ'' विकय हेतु लाये हैं और मंडी प्रांगण एवं उपमंडी प्रांगण के बाहर कतिपय कारणों से उन्हें इन्तजार करना पड़ रहा हो, को उपरोक्त उल्लेखित निःशुल्क भोजन योजना से वंचित ना किया जाये।

2- दिनांक 31 मई, 2012 के पश्चात निःशुल्क भोजन व्यवस्था अन्तर्गत मंडी/उपमंडी द्वारा आहरित किया गया व्यय राशि प्रारूप –दो में तैयार पत्रक अनुसार संबंधित कृषि उपज मंडी समिते के द्वारा आंचलिक संयुक्त संचालक/उपसंचालक को प्रमाणीकरण उपरान्त प्रस्तुत किया जायेगा तथा आंचलिक संयुक्त संचालक/उपसंचालक उक्त पत्रक को प्रमाणीकरण कर प्रतिपूर्ति हेतु मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

3– यह किसानों हेतु निःशुल्क भोजन व्यवस्था, मंडी समिति द्वारा तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.5.2012 तक उपमंडी प्रांगण एवं मंडी प्रांगण जहां कि गेहूँ उपार्जन हेतु शासन द्वारा क्रय केन्द्र संचालित हैं, में सुनिश्चित करायी जायेगी। इस हेतु वैनर प्रांगण में लगाकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों से प्रांगण में घोषणाएं करायी जायेंगी।

4– पूर्व में मंडी/उपमंडी प्रांगण में किसानों की भोजन व्यवस्था के संदर्भ में जारी निर्देश अनुसार कृषि उपज मंडियों को दी जा रही वित्तय सहायता इस निर्देश अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता से अतिरिक्त होगी और उसकी प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व की भांति अलग से मांग–पत्र मंडी समितियों के द्वारा मंडी बोर्ड को प्रेषित किया जावेगा।

नोटः– उपरोक्तानुसार निःशुल्क भोजन व्यवस्था, प्रदेश के जिला खरगौन में स्थापित कृषि उपज मंडी समितियों में लागू नहीं होगी।

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

क्रमांक/मंडी/प्रां./416

भोपाल,दिनांकः 10/5/2012

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ...
2– संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय..........................
3– भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति,..............................
4– अपर संचालक (वित्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

प्रपत्र कमांक–01

कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला ....

दिनांक ....

गेहूँ उपार्जन वर्ष 2012–13 में कृषकों को दिनांक 31.05.2012 तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र

क.	कृषक का नाम, पिता का नाम तथा ग्राम का नाम	वाहन कमांक	गेहूँ की अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	कृषक द्वारा मंडी प्रांगण में प्रवेश किया गया है या प्रांगण के बाहर लाईन में है (स्पष्ट उल्लेख करें)	शासन में गेहूँ उपार्जन हेतु किये गये पंजीयन का क०	पंजीयन अनुसार विकय दिनांक/एस एम एस अनुसार विकय दिनांक	तौल उपरांत अनुबंध/भुगतान / तौल पत्रक क. एवं दिनांक	निःशुल्क भोजन हेतु कृषकों को दिये जाने वाले कूपन कमांक/दिनांक	रिमार्क
								1. 2. 3.	
	योग –								

संधारण कर्ता के हस्ताक्षर
संधारणकर्ता का नाम........................
पद ....

सचिव के हस्ताक्षर
नाम ....
पद ....

प्रपत्र कमांक–02

कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला ....

गेहूँ उपार्जन वर्ष 2012–13 में कृषकों को दिनांक 31.05.2012 तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु मण्डी बोर्ड से भुगतान प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र

क.	दिनांक	निःशुल्क भोजन कूपन की संख्या	कृषकों की संख्या	शासन द्वारा किये गये पंजीयन कमांक/अनुबंध/प्रवेश पत्र अथवा भुगतान पत्रक की कुल संख्या (कोई एक की संख्या का उल्लेख करें)	भुगतान राशि	रिमार्क
	योग –					

संधारण कर्ता के हस्ताक्षर
संधारणकर्ता का नाम.......................
पद ....

सचिव के हस्ताक्षर
नाम ....
पद ....

संयुक्त संचालक/उपसंचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय.............

नोट :– प्रपत्र कमांक–01 के आधार पर मण्डी समिति में संधारित पंजी की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न करें।